

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या: 162/2017

RCMS No.—2017/000353

मांगीलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति बलाई निवासी ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

...अपीलांटस

बनाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जयपुर राज0।

.....रेस्पाडेन्टस



निगरानी अर्न्तगत धारा 227 एल.आर.एक्ट बखिलाफ नोटिस व आदेश दिनांक 04/11/2016 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि कारोबार ईकाई हेतु कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए अंतर राशि जमा करवाने बाबत नोटिस देकर कार्यवाही की।

उपस्थित:-

1. श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 29.01.2019

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, के आदेश/निर्णय दिनांक 04.11.2016 जिसके द्वारा अपीलांट मांगीलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति बलाई निवासी ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील जमवारामगढ को दिये गये नोटिस क्रमांक 2597 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.10.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से अपीलाधीन मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर उपस्थित अभिभाषक बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया अपीलांट की कृषि भूमि ग्राम गोल, ग्राम पंचायत बोबाडी, तहसील जमवारामगढ में खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 156 रकबा 3.54 हैक्टेयर स्थित है, जिस भूमि को अपीलांट ने कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि कारोबार ईकाई के लिए संपरिवर्तन हेतु राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 के तहत रेस्पा0 के समक्ष निर्धारित प्रारूप में मय आवश्यक दस्तावेजो के प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पाडेन्ट ने सभी आवश्यक विभागो से रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम की दर 2.50 रु प्रति वर्गमीटर की दर से प्रीमियम राशि जमा कर सभी कानूनी औपचारिकताओ को पूरी करके दिनांक 04.09.2013 को अपीलांट के हक में जारी संपरिवर्तन आदेश की पालना

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर

में अपीलांट कृषि कारोबार ईकाई स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा था कि दिनांक 04.11.2016 को क्रमांक/आर.ए./2016/2597 द्वारा रेस्पाडेन्ट ने अपीलांट को नोटिस इस आशय का पेश किया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पत्र की पालना में महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/12 से 03/2015 के द्वारा आपकी भूमि का कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि कारोबार ईकाई संपरिवर्तन किया गया था आप द्वारा संपरिवर्तन के दौरान 2.5 प्रतिशत के हिसाब से राशि जमा करवाई थी जबकि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 5 प्रतिशत के हिसाब से राशि जमा करवाने के प्रदान किये गये है। इस क्रम में अपीलांट को 2.5 प्रतिशत के अन्तर के हिसाब से अन्तर राशि 113666/- अक्षरे एक लाख तेरह हजार छः सौ छियासठ रूपये मद 0029 राजकोष में जमा करवाकर कार्यालय में सात दिवस में चालान प्रति पेश करने हेतु आदेशित किया गया अन्यथा संपरिवर्तन आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश एवं कार्यवाही को अवैध बताया लेकिन रेस्पा0 द्वारा कोई महत्व नहीं दिये जाने पर उक्त डिमांड राशि अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई। राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 संशोधित नियम 2012 के तहत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन राशि आदेश दिनांक 04.09.2013 द्वारा राजकोष में जमा कर ली गई थी किन्तु मात्र महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन की जांच को आधार बनाकर सीधे ही डिमांड निकालकर नोटिस जारी कर दिया यह सारी कार्यवाही अवैध होने से निरस्तनीय है। संपरिवर्तन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संपरिवर्तन आदेश 5 वर्ष के लिए है यदि इन 5 वर्षों में संपरिवर्तन आदेश में चाहे गये उपयोग अनुसार संपरिवर्तन भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो संपरिवर्तन आदेश निरस्त कर दिया जायेगा साथ ही नियम में उक्त अवधि प्रीमियम की राशि जमा करवाने पर आगामी 5 वर्ष बढ़ायी जा सकेगी। संपरिवर्तन आदेश 04.09.13 के अनुसार निगरानीकर्ता के 5 वर्ष 04.09.2018 को पूरे होंगे किन्तु उसके पूर्व ही महालेखाकार ने यह लिखकर की ईकाई स्थापित करने के स्थान पर आवेदक का उद्देश्य विक्रय का था इसलिए छूट वसूलने योग्य है पूर्णतया गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिमांड जारी कर कार्यवाही की गई है वह अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा दिनांक 04.11.2016 के नोटिस के आधार पर जो रिकवरी कार्यवाही की गयी है उसे निरस्त किया जाकर अपीलांट को उसकी अण्डर प्रोटेस्ट जमा राशि 111366/- अक्षरे एक लाख तेरह हजार छः सौ छियासठ रूपये मय ब्याज व हर्जे खर्चे के बाबत दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।



अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)  
जयपुर



हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 (संशोधित) द्वारा कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसायिक ईकाई हेतु उद्योग स्थापित करने पर कृषि भूमि के संपरिवर्तन भारो पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया। ईकाई की स्थापना हेतु राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेन्सी बनाया गया। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट खातेदारी की कृषि भूमि में खसरा नंबर 156 रकबा 3.54 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल, ग्राम पंचायत बोबाडी, तहसील जमवारामगढ के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 04.09.2013 में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि कारोबार ईकाई प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन भारो में 50 प्रतिशत की छूट दी जाकर 2.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से संपरिवर्तन राशि जमा करवाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.13 को दिये गये। महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार भू संपरिवर्तन करवाने के पश्चात आवेदकों द्वारा अपनी भूमि का विक्रय कर दिया गया एवं कृषि व्यवसायिक ईकाई स्थापित नहीं किये जाने से कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 के प्रावधानो का उल्लंघन मानकर संपरिवर्तन प्रभारो में 50 प्रतिशत छूट दिया जाना अनियमित पाया गया। जिसके कम उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2016 पारित कर अपीलांट से 5 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से संपरिवर्तन राशि जमा करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अपीलांट ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि अपीलांट द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर कृषि कारोबार ईकाई प्रयोजन हेतु उद्योग स्थापित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्थान उद्योग संवर्धन नीति 2010 या कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से दी गई छूट मय 18 प्रतिशत के वसूल करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश 04.11.2016 में कोई संशोधन करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)  
अतिरिक्त कलेक्टर-प्रथम,  
अति. जिला कलेक्टर-प्रथम  
जयपुर